

पत्रांक-श्रम कंस०-62/2025 (अंश)-56
बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, नवादा के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 01 श्रमिक के आश्रित को रू० 1,00,000/- (एक लाख रूपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 01 श्रमिक को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को रू० 50,000/- (पचास हजार रूपए) अर्थात कुल राशि रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरान्त राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

| क्र.सं. | मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि | आश्रित का नाम (संबंध)/ दावेदार, आधार सं० | श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक | पता, मोबाईल नं० | आश्रित का बैंक खाता संख्या | बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी. | स्वीकृत अनुदान की राशि | मृत्यु/निःशक्तता का श्रमिक कार्य की प्रकृति |
|---------|--|--|--------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | स्व० रेखा देवी, 41, बिंदा यादव, पिछड़ा वर्ग | बिंदा यादव, (पति) 23002954 3878 | 1341, 22.11. 2025 | ग्रा०-मुरहेता चक, पो०-रसलपुरा, प्रखण्ड-मेसकौर, जिला-नवादा, मो०-8539037434 | 4559 1821 0020 667 | BOI, BKID00 04599 | रू० 50,000/- (पचास हजार रूप ए) | स्वामाविक मृत्यु, दिहाड़ी मजदूर |
| 2 | स्व० चंचल कुमार, 21, महेन्द्र यादव, पिछड़ा वर्ग | सोनी देवी, (पत्नी) 96716002 2277 | 1342, 22.11. 2025 | ग्रा०-कैरीखाप, पो०-वंशागोपल, प्रखण्ड-रजौली, जिला-नवादा, मो०-9102242735 | 7268 0700 0064 80 | MBGB, PUNB0 MBGB0 6 | रू० 1,00,000 /- (एक लाख रूप ए) | दुर्घटना मृत्यु, खतिहर मजदूर |

कुल रू० 1,50,000/-

(एक लाख पचास हजार रूपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RIGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।
- प्रस्ताव पर सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम कंस०-62/2025 अंश)-56

पटना, दिनांक :- 11/11/2025

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RIGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम

संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि कुल- रू० 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त, गयाजी/श्रम अधीक्षक, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग।

07/01/2026
Signed by Rohit Kumar
Date: 07-01-2026 17:08:54

(रोहित कुमार),
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bhardwaj

(राजेश भारती),
कार्यकारी निदेशक